संख्या–1018/नौ–1–सिं0(01 भारत सरकार/03)/04

प्रेषक,

बी0आर0टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग — देहरादून दिनांक 18 मार्च, 2004

विषयः– तृतीय लघु सिंचाई संगणना के कार्यों के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय(लघु सिंचाई प्रखण्ड) के पत्रांक 04.26.2001–एम0आई0–(स्टेट) 562, दिनांक 03.05.2001 के द्वारा उत्तरॉचल में लघु सिंचाई योजनाओं की तृतीय संगणना के लिये रू0 35.09 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्र संख्या–4–26/2001–एम.आई. (स्टेट)795–807 दिनांक 26.05.2003 के द्वारा अवमुक्त रू0 14.04 लाख एवं सांख्यकी सेल के गठन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्र संख्या–3–31/2000–एम.आई.(स्टेट)/655 दिनांक 06.05.2003 द्वारा अवमुक्त रू0 2.15 लाख अर्थात कुल रू0 16.19 लाख (रूपये सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उक्त योजनान्तर्गत संगणना कार्यों पर किया जायेगा।

2– संगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों/मार्ग–निदेशक सिद्वान्तों के अनुसार सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार/जनपदवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल द्वारा किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, जिसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कुटेशन अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गये मितव्यता सम्बन्धी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

क्रमशः 2

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2702–लघु सिंचाई–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्यव्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03– रेशनालाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

7– उक्त आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या 3210/वि0 आ0–3/2004,दिनांक 18.03.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)
उप सचिव

पृ0संख्या–1016 (1)/नौ–1–सिं0(01 भारत सरकार/03)/04 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी।
2– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरॉचल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
7– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन, देहरादून।
8– कट फाईल।

संलग्न–यथोपरि।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–1018/नौ–1–सिं0(01 मा0स0)/03/04, दिनांक 18 मार्च 2004 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	प्रस्तावित आवंटन
1.	2702 लघु सिंचाई	
	80 सामान्य आयोजनागत	
	800 अन्य व्यय	
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनाएं	
	03 रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन	
	01–वेतन	1.10
	03–महंगाई भत्ता	0.60
	04–यात्रा व्यय	0.20
	06–अन्य भत्ते	0.20
	08–कार्यालय व्यय	0.05
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.50
	42–अन्य व्यय	13.54
	योग	16.19

(रू0 सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।